

:- आदेश :-

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-1 दिनांक 25/09/14 के क्रम सं0 40 पर अंकित डा0 मनोज सैनी चिकित्सा अधिकारी का सीएचसी खंडेला, सीकर से सीएचसी मउ, सीकर किया गया स्थानांतरण एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। डा0 मनोज सैनी चि0अ0 यथावत सीएचसी खंडेला, सीकर में ही कार्यरत रहेंगे।

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-1 दिनांक 25/09/14 के क्रम सं0 15 पर अंकित डा0 माधव सिंह मीणा चिकित्सा अधिकारी का सीएचसी खूंगला, चित्तौडगढ से सामान्य चिकित्सालय निम्बाहेडा, चित्तौडगढ किया गया स्थानांतरण एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-15 दिनांक 15/10/14 के क्रम सं0 11 पर अंकित डा0 मंसूर अहमद खान चिकित्सा अधिकारी का निम्बाहेडा चित्तौडगढ से सीएचसी सज्जनगढ, बांसवाडा किया गया स्थानांतरण एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। डा0 मंसूर अहमद खान चि0अ0 यथावत निम्बाहेडा, चित्तौडगढ में ही कार्यरत रहेंगे।

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-1 दिनांक 25/09/14 के क्रम सं0 21 पर अंकित डा0 प्रताप राम सीरवी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के स्थानांतरण स्थान में सीएचसी सोजत, पाली के स्थान पर राजकीय चिकित्सालय सोजतसिटी, पाली पढा जावे।

डा0 सुमेर सिंह भाटी चि0अ0 सीएचसी रेवदर, सिरौही का समायोजन बीसीएमओ रेवदर, सिरौही के रिक्त पद पर तुरंत प्रभाव से किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/अधीक्षक, मेडिकल कालेज संबंधित।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
8. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को देवे तथा सभी संबंधित को निर्देशानुसार लेख है कि पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में भी चिकित्सक को कार्यग्रहण करावे तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता से मार्गदर्शन मांगे।
9. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
10. संबंधित चिकित्सक
11. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर